सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 672 राँची, बुधवार, 22 भाद्र, 1938 (श०)

13 सितम्बर, 2017 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

12 सितम्बर, 2017

विषय:- **14वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्द्धन हेतु उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर मानव संसाधन सेवाएँ प्राप्त करने के संबंध में ।**

संख्या-14/आ.प्र.(13FC)-22/2014(खण्ड)-.997./आ.प्र. -- भारत सरकार के द्वारा 14वें वित्त अयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक झारखण्ड राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्द्धन हेतु राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक आवंटन का 5%

राशि का प्रावधान है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए क्षमता संवर्द्धन हेतु कुल 18,55,00,000/- (अठारह करोड़ पचपन लाख) रूपये का प्रावधान किया गया है ।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) संबंधी दिशा निर्देश की कंडिका-18.1 के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के वार्षिक आवंटन के 5% राशि का उपयोग क्षमता संवर्द्धन संबंधी निम्नलिखित कार्यों पर किया जा सकता है ।

(i) Emergency Operation Center (EOC) की स्थापना एवं संचालन ।
(ii) प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन ।
(iii) श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता ।
(iv) राज्य एवं जिलास्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का विनिर्माण ।
(v) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का सुदृढ़ीकरण ।

3. 13वें वित्त आयोग अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त क्षमता संवर्द्धन मद अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार एवं UNDP, नई दिल्ली के बीच Development Support Services उपलब्ध कराने हेतु एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया था जिसके अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए UNDP, नई दिल्ली द्वारा मानव संसाधन सेवाएँ उपलब्ध कराया गया ।

14वें वित्त आयोग अंतर्गत उपलब्ध क्षमता संवर्द्धन हेतु कर्णांकित राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) से Development Support Services उपलब्ध कराने हेतु पुनः एकरारनामा करने के लिए वित्त विभाग, विधि विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संलेख पर सहमति प्राप्त करते हुए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही थी । इसी क्रम में UNDP, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2017 को सूचित किया गया कि Department of Economic Affairs से नई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होने तक किसी प्रकार का एकरारनामा हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता है । जबकि कार्यरत कर्मियों की संविदा अवधि अगस्त से लेकर नवम्बर माह के विभिन्न तिथियों तक था एवं अवधि विस्तार की प्रत्याशा में उक्त कर्मी कार्यरत हैं और वर्तमान समय में इनकी संविदा सेवा समाप्त नहीं की गई है ।

UNDP के द्वारा इन कर्मियों का चयन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया गया था तथा सम्बंधित उपायुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इन लोगों के द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने-अपने जिलों में अच्छा कार्य किया गया है ।

आपदा प्रबंधन के तहत आकस्मिक, प्राकृतिक एवं अन्य दुर्घटना घटित होने पर तत्क्षण एवं तत्काल पीड़ितों की मदद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है । यदि इन संविदा कर्मियों की संविदा सेवाएं समाप्त कर इनके स्थान पर नए सिरे से कर्मियों का चयन किया जाता है तो इसमें काफी समय लगने की सम्भावना है ।

अतएव आपदा प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों के सफल सम्पादन एवं उक्त अनुभवी मानव संसाधनों की संविदा सेवा प्राप्त करने हेतु उन कर्मियों की संविदा अवधि विस्तार के प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति बैठक में उपस्थापित किया गया ।

4. मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 13 जून, 2017 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही सं०-02 में उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में उक्त समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

(i) उक्त परियोजना (DSS) अन्तर्गत वर्तमान में कार्य कर रहे 12 पदाधिकारियों का संविदा अवधि (संविदा समाप्ति की तिथि से) अगले एक वर्ष के लिए मंत्रिपरिषद् के आवश्यक अनुमोदनोपरान्त विस्तार करने एवं शेष 04 पदों पर संविदा पर आवश्यक प्रक्रियानुसार/ नियमानुसार नियुक्ति करने का प्रस्ताव है, जिसमें होने वाले व्यय का वहन आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा स्वयं किया जाएगा एवं नियुक्त पदाधिकारियों को संविदा राशि का भुगतान जिला स्तर पर संबंधित उपायुक्त के माध्यम से एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रभाग के माध्यम से किया जाएगा ।

(ii) पूर्व में UNDP के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा के Annexure-I (संलग्न) में वर्णित पदाधिकारियों के

कार्यों के अनुरूप संबंधित पदाधिकारी कार्य करेंगे । आपदा प्रबंधन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर मानव संसाधन की सेवा संबंधी उपरोक्त प्रस्ताव में व्यय का प्राक्कलन पूर्व में संचालित परियोजना के आधार पर निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः-

क्र० सं०	**पदनाम**	**संख्या**	**प्रति माह संविदा राशि**	**एक वर्ष हेतु कुल संविदा राशि**
	राज्य स्तरीय			
1	क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी	02	60,000/-	14,40,000/-
2	प्रलेखन पदाधिकारी	01	60,000/-	7,20,000/-
3	आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ	01	90,000/-	10,80,000/-
	जिला स्तरीय			

4	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	12	50,000/-	72,00,000/-
	कुल योग-	16		1,04,40,000/-

एक करोड़ चार लाख चालीस हजार रूपये मात्र

(iii) 14वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्द्धन हेतु उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर मानव संसाधन सेवाएँ प्राप्त करने हेतु कुल रू० 1,04,40,000/- (एक करोड़ चार लाख चालीस हजार) रूपये को वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रावधानित राशि अंतर्गत कार्यालय व्यय (विपत्र कोड-39S224580101160315) से वहन किया जायेगा ।

5. उक्त प्राप्त निर्णय के आलोक में निम्नलिखित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया -

(i) DSS परियोजना अन्तर्गत वत्र्तमान में कार्य कर रहे 12 पदाधिकारियों का संविदा अवधि (संविदा समाप्ति की तिथि से) अगले एक वर्ष के लिए मंत्रिपरिषद् के आवश्यक अनुमोदनोपरान्त विस्तार किया जाना है एवं शेष 04 (चार) पदों पर संविदा पर आवश्यक प्रक्रियानुसार/नियमानुसार नियुक्ति करने का प्रस्ताव है, जिसमें होने वाले व्यय का वहन आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा स्वयं किया जायेगा एवं नियुक्त पदाधिकारियों को संविदा राशि का भुगतान जिला स्तर पर संबंधित उपायुक्त के माध्यम से एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रभाग के माध्यम से किया जायेगा ।

(ii) पूर्व में UNDP के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा के Annexure-I में वर्णित पदाधिकारियों के कार्यों के अनुरूप संबंधित पदाधिकारी कार्य करेंगे । उक्त प्रस्ताव में व्यय का प्राक्कलन पूर्व में संचालित परियोजना के आधार पर निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:-

क्र० सं०	**पदनाम**	**संख्या**	**प्रति माह संविदा राशि**	**एक वर्ष हेतु कुल संविदा राशि**
		राज्य स्तरीय		
1	क्षमता संवर्द्धन पदाधिकारी	02	60,000/-	14,40,000/-
2	प्रलेखन पदाधिकारी	01	60,000/-	7,20,000/-
3	आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ	01	90,000/-	10,80,000/-
		जिला स्तरीय		
4	जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	12	50,000/-	72,00,000/-
	कुल योग-	16		1,04,40,000/-

एक करोड़ चार लाख चालीस हजार रूपये मात्र

(iii) 14वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्द्धन हेतु उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर मानव संसाधन सेवाएँ प्राप्त करने हेतु कुल रू० 1,04,40,000/- (एक करोड़ चार लाख चालीस हजार) रूपये को वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रावधानित राशि अंतर्गत संविदा व्यय (विपत्र कोड-39S224580101160108) से वहन किया जायेगा ।

6. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29 अगस्त, 2017 की बैठक की मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस.के.जी.रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 672--50